



131

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /2013-14 निगरानी - R-2906-5/14

श्री अर्जुन सिंह विरुद्ध
श्री अर्जुन सिंह विरुद्ध
पर दि. 20.8.14 को

विरोधी विमाख्या 23.

29.8.14

- 1- हरिसिंह पिता श्री भैराजी, जाति गारी,
 - 2- कमल पिता श्री देवनारायणजी, जाति गारी
 - 3- ताराबाई पति श्री छोटुलाल, जाति मीणा
 - 4- अमृताबाई पति श्री भैरूलाल, जाति कुम्हार
 - 5- मेहरबानसिंह पिता श्री कनीराम, जाति गारी
 - 6- सरजुबाई पत्नी श्री राधेश्याम, जाति-ब्राम्हण
 - 7- राधेश्याम पिता श्री पन्नालाल, जाति-ब्राम्हण
 - 8- कमलशंकर पिता श्री पूनमचन्द, जाति-ब्राम्हण
 - 9- रेशमबाई विधवा श्री पूनमचन्द, जाति-ब्राम्हण
 - 10- हेमचन्द पिता श्री पूनमचन्द, जाति-ब्राम्हण
 - 11- जगदीश पिता श्री पूनमचन्द, जाति-ब्राम्हण
 - 12- रमेश पिता श्री पूनमचन्द, जाति-ब्राम्हण
- निवासीगण-ग्राम लिम्बा पिपल्या, तहसील व
जिला उज्जैन म.प्र. — निगरानीकर्तागण

— विरुद्ध —

- 1- कन्हैयालाल पिता श्री मोतीराम कुम्हार,
- 2- श्रीमती नाथीबाई विधवा श्री मोतीराम कुम्हार
धंधा-कृषि, निवासीगण-ग्राम लिम्बा पिपल्या,

तहसील व जिला उज्जैन म.प्र.

- 3- श्री.प. शासन द्वारा तहसीलदार प्रेष. तह. उज्जैन
— प्रत्यर्थी

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, उज्जैन
के प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/2012-13 में पारित आदेश
दिनांक 15/07/2014 से दुखित व क्षुब्ध होकर निगरानी
अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्तागण की ओर से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है


हरिसिंह / कन्हैयालाल

R-2906-I/14 (मंसौर)

22-12-17

आवेदक सखिलम्हा श्री वीरेन्द्रसिंह
सिसौडिया उप.। उनके द्वारा प्रकल्प प्राप्ति
नहीं चलाये जाने के कारण नारपुस में
समाप्त किया जाने का निवेदन किया गया।
प्रकरण आवेदक के निवेदन पर नारपुस
में समाप्त किया जाता है।




अध्यक्ष